न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/91 **दायरा दिनांक : 12.07.2021**

उनवान

1– कैलाश, आयु 67 वर्ष पुत्र जगनी, जाति किराड, निवासी कस्बाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0
2– हरगोविन्द पुत्र बाबूलाल, आयु 61 वर्ष, जाति नाई, निवासी कस्बाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0 .... अपीलांट

बनाम

1– घनश्याम पुत्र अमोलकचन्द, जाति महाजन, निवासी कस्बाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0
2– मोहनबाई पुत्री अमोलकचन्द, जाति महाजन, निवासी कस्बाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0
3– मुन्नीबाई पुत्री अमोलकचन्द, जाति महाजन, निवासी कस्बाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0
4– लीलाधर पुत्र नामालूमत, जाति ब्राहमण, निवासी कस्बाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0
5– रामजीलाल पुत्र खेमू, जाति माली, निवासी कस्बाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0
6– कंचनलाल पुत्र अर्जुनलाल, जाति किराड, निवासी कस्बाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0 .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 3 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 11.07.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 31/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 से 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कस्बाथाना, तहसील शाहबाद में वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 467 रकबा 0.03 बीघा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2020 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादीगण रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 3 ने उक्त वाद अपीलांट व रेस्पोडेंटगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कस्बाथाना, शाहबाद, जिला बारां राज0 में वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 467 रकबा

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

0.03 बीघा स्थित है। यह आराजी आबादी के नजदीक आ जाने से प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर धमकी एवं भय दिखाकर वादीगण की विवादित आराजी पर कब्जा करने की धमकी देकर वादीगण को विवादित आराजी से अवैधानिक तरीके से बिना किसी अधिकार के बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। प्रतिवादीगण ने दिनांक 09.05.2013 को विवादित आराजी के कुछ भाग पर नीव खोदना चालू कर दिया, मना करने पर लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हो गये। वादी कम 1 ने पुलिस को सूचित किया जिस पर पुलिस मौके पर आई और दोनों पक्षों को थाने पर ले गई तथा दोनों पक्षों से कागजात मांगे। वादी कम 1 ने अपने खाते की पासबुक दे दी। प्रतिवादीगण के पास कुछ भी कागजात नहीं होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की इससे प्रतिवादीगण के हौसले बुलन्द हो गये हैं। प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं वादीगण को बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का कोई हक या अधिकार नहीं है। वादीगण विवादित आराजी पर निर्बाध रूप से बहैसियत खातेदार कृषक काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 09.05.2013 को गांव में सरे आम खुली एलानिया धमकी दी है कि वे विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल करके रहेगे तथा जबरन मकान बनाकर रहेगे। प्रतिवादीगण की इस धमकी से वादीगण के हकूक मालिकाना को भारी खतरा पैदा हो गया है।

विचारण के दौरान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी घनश्याम पी.डब्ल्यू. 1 की साक्ष्य ली जाकर प्रतिवादीगण की साक्ष्य अभिलेख पर दर्ज नहीं की एवं दिनांक 07.01.2020 को निर्णय पारित कर वाद डिक्री किया गया।

निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 16.03.2013 के पत्र के कम में दी गई उसके विरूद्ध निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा में भूमि अपीलांट द्वारा कय करना पी. डब्ल्यू. 1 घनश्याम द्वारा स्वीकार करने पर भी वाद सरसरी तौर पर डिक्री कर त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तनकीयात का निर्णय साक्ष्य के विपरीत वादीगण/रेस्पोडेंट के पक्ष में कर त्रुटि की है। रेस्पोडेंट कम 4, 5, 6 अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रहे हैं जो अपील प्रस्तुत करने में अपीलांट/ प्रतिवादी कम 1 व 3 को सहयोग नहीं कर रहे हैं इस कारण उन्हें रेस्पोडेंट कम 4, 5, 6 के रूप में प्रोफार्मा पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2020 निरस्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.07.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 467 रकबा 0.03 बीघा वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी घनश्याम पी.

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डब्ल्यू. 1 की साक्ष्य ली जाकर प्रतिवादीगण की साक्ष्य अभिलेख पर दर्ज नहीं की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी खसरा सं. 467 रकबा 0.03 हेक्टर रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 के खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 द्वारा वाद प्रस्तुत कर खसरा सं. 467 रकबा 0.03 हेक्टर पर स्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जवाब दावे के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा जवाबदावे में कथन किया है कि रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 द्वारा कस्बाथाना की समस्त आराजी विक्रय कर दी तथा 9 बिस्वा पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अधिग्रहित कर ली गई, शेष आराजी रामरतन पुत्र भगवानलाल ओझा को विक्रय कर देने से क्रेता के खाते में अमल हो गयी। रेस्पोडेंट 1 लगायत 3 के खाते में अब कोई भूमि शेष नहीं है। अपीलांट द्वारा रामरतन ओझा से प्लॉट खरीद कर मकान बनाया है। अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण आराजी के बेचान बाबत विक्रय पत्रों की कोई प्रति पेश नहीं की। रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 के रिकॉर्ड में अभी भी आराजी होना प्रकट होता है।

अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि जमाबंदी एक्जीविट 1 स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। हमारी राय में प्रथम दृष्टया खातेदारी का प्रमाण जमाबंदी ही होता है। यदि इसे अन्यथा सिद्ध नहीं कर दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी भी पेश नहीं की गई। अपीलांट प्रतिवादी के मौखिक कथन से वाद का निर्णय नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण को न्यायालय में वाद का प्रतिकार स्वयं की साक्ष्य से करना होगा। प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक कथन के अलावा कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत व उचित पाया जाता है। अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को सिद्ध नहीं कर पाने से अपील को खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– कैलाश, आयु 67 वर्ष पुत्र जगनी, जाति किराड, निवासी करबाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0
2– हरगोविन्द पुत्र बाबूलाल, आयु 61 वर्ष, जाति नाई, निवासी करबाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0 ....

अपीलांट्स

बनाम

1– घनश्याम पुत्र अमोलकचन्द, जाति महाजन, निवासी करबाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0
2– मोहनबाई पुत्री अमोलकचन्द, जाति महाजन, निवासी करबाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0
3– मुन्नीबाई पुत्री अमोलकचन्द, जाति महाजन, निवासी करबाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0
4– लीलाधर पुत्र नामालूमत, जाति ब्राहमण, निवासी करबाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0
5– रामजीलाल पुत्र खेमू, जाति माली, निवासी करबाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0
6– कंचनलाल पुत्र अर्जुनलाल, जाति किराड, निवासी करबाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0

.... **रेस्पोडेंट्स**

अपील नं **2021/91**
मु.द.नं0 **31/2013**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,शाहबाद**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **07.01.2020**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **12 माह 06** सन् **2024**

श्री **महेश प्रकाश गौतम** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **बाबू लाल जैन** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 3 की ओर से,**शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2020 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **11 माह 07 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)